# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

## पीठासीन अधिकारी : सीता शर्मा, आर.ए.एस.

**प्रकरण सं. : 51** **दायर दिनांक : 26.02.2024**

1. धर्मपाल
2. विजयपाल

} पुत्रगण देवीलाल अकवाम बिश्नोई साकिनान 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. धन्नाराम पुत्र सराज जाति बिश्नोई
2. सोहनलाल पुत्र जीतसिंह जाति मजहबी
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
4. रूपराम पुत्र बुधराम जाति मेघवाल
5. विद्यादेवी पत्नी देवीलाल जाति बिश्नोई

} साकिनान 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

6. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक, शाखा जैतसर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थित :
1. श्री राजवीर भादू, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री जसवीर सिंह बराड़, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 4
3. पैरोकार राज

## निर्णय दिनांक : 17.05.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 4 उपस्थित, शेष की तलबी पूर्ण नहीं हुई, किन्तु अभिभाषक अप्रार्थी सं. 4 के प्रार्थना—पत्र में मामला आवश्यक प्रकृति एवं जनहित का दर्शाये जाने पर उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। आज पत्रावली निर्णय करने हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, विचारण तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर, यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत [illegible] व अप्रार्थी सं. 5 के नाम से वाके चक 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. [illegible]75 के पत्थर नं. 109/390 (17) के किला नं. 1 रकबा 1 में 4.693 है0 कमाऊ भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.17 16:52:10 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खातेदारी दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं, किन्तु अब अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 प्रार्थीगण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए प्रार्थीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है एवं वाद चलन के दौरान अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 को प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश नहीं करने तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर अभिभाषक प्रार्थीगण को इकतरफा सुना जाकर दिनांक 26.02.2024 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण में से अप्रार्थी सं. 4 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी कब्जा करने की कोई नियत नहीं है। मात्र प्रार्थना–पत्र को रंगत देने के लिए स्थगन लिया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि चक 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 109/390 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में सी.ए.डी. सिंचाई विभाग अनुसार खाला अंकित है जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा खाला बनाया जाने पर उनको पक्षकार ना बनाते हुए खाला निर्माण रूकवाने के लिए स्थगन लिया गया है जिसे निरस्त करने की प्रार्थना की।

बाद आने जवाब प्रार्थना–पत्र पर तर्क पक्षकारान सुने गये। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी चक 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 111/75 के पत्थर नं. 109/390 (17) के किला नं. 1 से 21 में 4.693 है0 कमाण्ड भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार कृषक हैं जिसमें किला नं. 1 से 5/1.265 है0, 6/1 में 0.126 है0, 7/1 में 0.127 है0, 8/1 में 0.127 है0, 9/1 में 0.164 है0, 10/1 में 0.215 है0, 11/1 में 0.177 है0, 12/[illegible]5 है0, 13 से 21/2.277 है0 = 4.693 है0 कमाण्ड खातेदारी [illegible] है। मौके [illegible] प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 5 का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी सं. 4 को रकबा कौन सा है, नहीं बताया गया। मौका

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.17 16:52:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पर खाला है या बन रहा है, के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये, इसलिए पूर्व में जारी स्थगन ताफैसला वाद बढ़ाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 4 ने तर्क दिया कि खाला सिंचाई विभाग अनुसार चक 11 एस.डी. के पत्थर नं. 109/390 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में सी.ए.डी. विभाग से स्वीकृत है, स्वयं अधिशाषी अभियन्ता ने यह भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज करने व स्थगन निरस्त करने की प्रार्थना की है। ग्राम पंचायत द्वारा भी लोक हित में तुरन्त स्थगन निरस्त कर खाला बनाने पर रोक हटाने का निवेदन किया है, इसलिए पूर्व में जारी स्थगन निरस्त करने की प्रार्थना की।

उपस्थित उभय पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 5 के नाम से चक 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 111/75 के पत्थर नं. 109/390 (17) के किला नं. 1 से 21 में 4.693 है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है। शपथ–पत्र अनुसार व स्वयं अप्रार्थी सं. 4 के कथन अनुसार उनका कब्जा भी है, किन्तु इस भूमि में से किला नं. 5, 6, 15, 16 व एक अतिरिक्त किला नं. 25 में सिंचाई विभाग अनुसार खाला सिंचाई विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है व इसी अनुसार राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा भी सिंचाई सुविधा हेतु खाला निर्माण में बाधा उत्पन्न न करे, इस हेतु स्थगन निरस्त करने की मांग की गई है। लोक हित में व सिंचाई विभाग की अनुशंसा दस्तावेजी रिकॉर्ड होने से विपरीत साक्ष्य व लोक हित देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार कर चक 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 111/75 के पत्थर नं. 109/390 (17) के किला नं. 1 से 21 में 4.693 है0 कमाण्ड भूमि में से सिंचाई विभाग के सी.ए.डी. नक्शा में अंकित खाले की भूमि छोड़ते हुए, शेष भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप ताफैसला वाद नहीं करें, इस हेतु उन्हें पाबन्द किया जाता है। इस स्थगन का सिंचाई विभाग द्वारा किये जाने वाले खाले के निर्माण पर कतई असर नहीं होगा, उनके हकूक तक स्थगन निरस्त कर, शेष स्थगन ताफैसला वाद निर्णय किया जाता है। पत्रावली वृद्ध तरत तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.17 16:52:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)